


19.07.2023

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री धनंजय गहलोत उपस्थित। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का मूल प्रकरण निर्णित हो जाने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थी का यह स्थगन प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(डॉ. भवर लाल)

जिला कलक्टर,सिरोही

